भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी0 ए0 मिस वाद संख्या **13B/2017-18**

1.मिनती देवी , 2. महेश्वर महतो

बनाम

रितु महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
15.9.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी सरायकेला के पत्रांक 538 दिनांक 29.6.2017 द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 13 B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1.मिनती देवी पति–स्व0 जोगेश्वर महतो, 2. महेश्वर महतो पिता स्व0 भोला महतो ग्राम– बॉधडीह, थाना– सरायकेला जिला– सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्चा हेतु क्रेता रितु महतो, पिता – स्व0 विक्रम महतो, ग्राम– बॉधडीह, थाना–सरायकेला जिला– सरायकेला–खरसावॉ को भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र समार्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
बॉधडीह	245	47	108	0.09ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के श्वसुर एवं पिता भोला महतो के नाम से हाल सर्वे खतियान में दर्ज है। रैयत भोला महतो के मृत्यु पश्चात् उनकी पुत्रवधु एवं पुत्र के पास कुल रकवा 2.66ए0 भूमि है। आवेदक गण अपने हिस्से की अंशिक जमीन की बिक्री हेतु अवेदन किये हैं, जिसमे से 0.09ए0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् उनके हिस्से में 2.47एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही मौजा, जिला एवं जाति 'कुर्मी ' अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपयुक्त तथ्यो एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.09 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

15/9/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।